<u>चुनाव अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक – एफ.8(2)(2)निर्वा / 2018 / ४६२४   जयपुर, दिनांक – २१-१०-१८

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर्स), राजस्थान।

विषय – राजस्थान विधान सभा आम चुनाव, 2018 – सम्पत्ति का विरूपण एवं चुनाव अभियान बाबत।

प्रसंग – विभाग का समसंख्यक आदेश क्रमांक 7405 दिनांक 11.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चिन्हित विज्ञापन स्थलों को उपयोग में लेने का समान अवसर उपलब्ध कराने और आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के प्रयोजन से प्रासंगिक पत्र दिनांक 11.10.2018 के द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये थे। प्रासंगिक पत्र के पैरा 2.12 में जिला निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया को बताया गया है।

इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठकों में उपस्थित होने और आवेदन प्रस्तुत करने में कठिनाई होना बताया है तथा स्थानीय स्तर पर व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया है। अतः राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रासंगिक पत्र दिनांक 11.10.2018 के पैरा 2.12 में बताई गई प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है –

1) चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित की गई दरों की सूची नगरपालिका संस्था द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जावेगी।

2) विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जायेंगे और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

G:\ \Letter (hindi).docx

3) अपने क्षेत्रों में **विज्ञापन स्थल** आवंटित करने बाबत राजनैतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठकें भी उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
4) विज्ञापन स्थलों की अनुमति उपखण्ड मुख्यालयों पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा दी जायेगी। इस समिति में सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं संबंधित नगरपालिका संस्था का आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी सदस्य होंगे।
5) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति का आशय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित अधिकारियों की समिति से है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के 2 या 3 वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिनका मनोनयन जिला निर्वाचन अधिकारी अपने विवेक के आधार पर करेंगे।
6) विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की उक्त आधार पर औपचारिक अनुमति संबंधित नगर पालिका संस्था के द्वारा ही दी जानी है।
7) प्रासंगिक पत्र दिनांक 11.10.2018 के पैरा 2.12 में वर्णित शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

उक्त संशोधित निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी माने जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि – समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

G:\ \Letter (hindi).docx